भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 495

उत्तर देने की तारीख 04 दिसम्बर, 2025

सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि

495. श्रीमती रेखा शर्माः
श्रीमती संगीता यादवः
श्री बाबू राम निषादः
श्री आदित्य प्रसादः
डा. कविता पाटीदारः
डा. भागवत कराड़ः
श्री मदन राठौड़ः
श्री नरहरी अमीनः
श्री चुन्नीलाल गरासियाः
श्री घनश्याम तिवाड़ीः

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) के उद्देश्य क्या हैं;
(ख) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड की पहुँच बढ़ाने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;
(ग) सरकार द्वारा ख़राब कनेक्टिविटी की समस्या को दूर करने के लिए जनजातीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों में मोबाइल टॉवर्स संस्थापित करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और
(घ) यूएसओएफ ने डिजिटल अवसंरचना के सुधार में किस प्रकार योगदान दिया है और इसके प्रयासों से जुड़ी उल्लेखनीय परियोजनाओं अथवा उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 की संख्या 44) के अनुसार, सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) का नाम बदलकर "डिजिटल भारत निधि" (डीबीएन) कर दिया गया है और अधिनियम में यथापरिभाषित डीबीएन द्वारा प्राप्त आय का उपयोग करने के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

(i) अल्प सेवा वाले ग्रामीण, दूरस्थ और शहरी क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं की पहुंच और प्रदायगी को बढ़ावा देने के माध्यम से सार्वभौमिक सेवा का समर्थन करना;

(ii) दूरसंचार सेवाओं, प्रौद्योगिकियों और उत्पादों के अनुसंधान और विकास का समर्थन;

(iii) इस धारा के खंड (i) के तहत सेवा के प्रावधान के लिए पायलट परियोजनाओं, परामर्श सहायता और सलाहकार सहायता का समर्थन;

(iv) दूरसंचार सेवाओं, प्रौद्योगिकियों और उत्पादों की शुरूआत का समर्थन।

(ख) से (घ) देश में ग्रामीण क्षेत्रों सहित ग्राम पंचायतों (जीपी) को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भारतनेट परियोजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। अक्टूबर 2025 तक; देश में भारतनेट परियोजना के तहत 2,14,843 ग्राम पंचायतों को सेवा प्रदान करने के लिए तैयार कर लिया गया है और 13,66,753 फाइबर टू द होम (एफटीटीएच) कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा, सरकार द्वारा दिनांक 04.08.2023 को अनुमोदित, संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (एबीपी), भारतनेट चरण-I और चरण-II के मौजूदा नेटवर्क के उन्नयन, शेष जीपी में और जीपी के अभाव वाले बाकी गांवों में उनके संबंधित जीपी से प्राप्त मांग के आधार पर नेटवर्क के निर्माण हेतु कार्यान्वयन के अंतर्गत है।

देश के जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों में खराब मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी की समस्या का समाधान करने के लिए, सरकार द्वारा कई लक्षित मोबाइल टॉवर परियोजनाएं शुरू की गई हैं। 4जी सेच्युरेशन स्कीम और अन्य मोबाइल परियोजनाओं के तहत, अक्टूबर-2025 तक, जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों सहित देश में विभिन्न सरकारी वित्त पोषित मोबाइल परियोजनाओं के तहत 22,987 मोबाइल टॉवर चालू किए गए हैं।
